**रजिस्टार्ड/सील्ड**

**उत्तर प्रदेश शासन**

**कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2,**

**संख्या-40 /2019/1919/22-2-2018-17(455)/2016**

**लखनऊः दिनांक : 26 अप्रैल, 2019**

**कार्यालय-ज्ञाप**

केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध रहे सिद्धदोष बंदी इरशाद (बंदी संख्या -503/09) पुत्र श्री मो0 फारूक, निवासी-बरीपुर, थाना-कोखराज, जनपद-कौशाम्बी जिन्हें सत्र परीक्षण सख्या-190/2005 के अन्तर्गत भा0द0सं0 की धारा-449,450, 307/34, 302/34 के अधीन मा0 सत्र न्यायाधीश कौशाम्बी के आदेश दिनांक 01.08.2009 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया है, की भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के अधीन दयायाचिका के आधार पर श्री राज्यपाल द्वारा शेष सजा का परिहार करते हुए शासन के आदेश संख्या-147/2017/2284/22-2-2016-17(455)/2016 दिनांक 15 मार्च 2017 द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बंदी को कारागार से मुक्त करने का आदेश निर्गत किया गया। तत्क्रम में जिला मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी द्वारा समुचित जमानत तथा जाती मुचलका लेकर बंदी को कारागार से रिहा किये जाने का आदेश दिनांक 30.03.2017 जारी किया गया, जिसके अनुपालन में बंदी को कारागार से मुक्त किया गया।

2- बंदी इरशाद की रिहाई के शासन के उपर्युक्त आदेश दिनांक 15.03.2017 के विरूद्ध श्रीमती बेबी तवस्सुम पत्नी श्री अतीक अहमद जनपद-कौशाम्बी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में क्रिमि0 मिस0 रिट याचिका संख्या-6683/2017 बेबी तवस्सुम बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित किया गया। उक्त याचिका को । Allow करते हुए मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने दिनांक 02.07.2018 को आदेश पारित किया है जिसका क्रियात्मक अंश निम्नवत हैः-

"15. From the above citations, the position of law is absolutely clear that if a consideration is made for premature release of a convicted person who has been awarded life imprisonment, under Article 161 of the Constitution of India, the same can be done despite the fact that there is specific provision in Cr.P.C. under Section 433 A stipulating that such convicts must have remained in jail for minimum 14 years but it is essential that reasons ought to be given as to what considerations were made; whether there would be any chance of the convict committing the crimes again; whether the convict had lost potentiality to commit the crime; whether any fruitful purpose would be served by confining him any further; what was socio-economic condition of the convict and other circumstances, such as whether the convict was suffering from any incurable disease at the last stage etc. which would justify his early release. Such kind of consideration may be required to be made while considering a case of premature release of a convict. It may also be mentioned here that Hon'ble Governor is supposed to act on the aid and advice of the council of ministers and in case such advice contains valid reasons for premature release of the convicted accused the same may be considered by the Hon'ble Governor and pass a suitable order. In the case at hand, there does not seem to be any such consideration made because in counter-affidavits filed from the sides of the respondents mentioned above, nothing has emerged as to whether any note was put up by the officials which might have been considered by the council of ministers and in turn, thereafter by the Hon'ble Governor while considering the release of the respondent No.5. The impugned order does not reflect any such consideration to have been made and hence, the same would fall in the category of being an order passed arbitrarily.

16. In view of the above facts, we are constrained to hold that the impugned order dated 15.03.2017 not being supported with any reasoning deserves to be quashed and consequently the other order dated 30.03.2017 passed by District Magistrate also needs to be set-aside and accordingly, they are set-aside. We further direct that a fresh consideration be made in the matter of the respondent No.5 in accordance with law giving the reasons.

17. This Writ Petition is, accordingly, allowed with a direction that a fresh consideration shall be made within six months from today ensuring that the same is passed well supported with reasoning."

3- मा0 न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के क्रम में शासन के पत्र दिनांक 24.09.20018 द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को पत्र प्रेषित कर प्रकरण में मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। तत्क्रम में वरिष्ठ अधीक्षक मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें उ0प्र0 लखनऊ के पत्र

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-551/प्रोवे0-5-द0या0 बैठक 20-11-2018 दिनांक 08.01.2019 द्वारा दयायाचिका समिति की बैठक दिनांक 20.11.2018 की आख्या उपलब्ध करायी गयी।

4- प्रकरण में जेल रिपोर्ट के अनुसार बंदी द्वारा दिनांक 21.07.2016 तक 10 वर्ष 07 माह 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 12 वर्ष 09 माह 25 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। दिनांक 21.07.2016 को बंदी की आयु 73 वर्ष है। बंदी को धारा-433ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रवृत्त होने की तिथि 18.12.1978 के बाद दोषसिद्ध करते हुए भा0द0सं0 की उपरोक्त धाराओं के साथ-साथ धारा-302 के अन्तर्गत आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया हैं, जिसके अन्तर्गत मृत्युदण्ड एक वैकल्पिक दण्ड है। अतः यह प्रकरण धारा-433ए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 से आच्छादित है जिसके अनुसार आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे बंदियों की समयपूर्व रिहाई का प्रकरण उनके द्वारा 14 वर्ष की सजा भुगतने के उपरान्त ही विचार किया जाना चाहिए। चूँकि बंदी द्वारा अद्यतन 14 वर्ष की अपरिहार सजा नहीं काटी गयी है। अतएव श्री राज्यपाल बंदी इरशाद की समयपूर्व रिहाई को औचित्यपूर्ण न पाये जाने के आधार पर अस्वीकार किये जाने का आदेश प्रदान करते है। उक्त के क्रम में क्रिमि0 रिट याचिका संख्या-6683/2017 बेबी तवस्सुम बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.07.2018 के अनुपालन में प्रतिपक्षी संख्या-5 इरशाद पुत्र श्री मो0 फारूक, ग्राम-वरीपुर थाना-कोखराज, जनपद-कौशाम्बी की शेष सजा का परिहार कर कारागार से समयपूर्व रिहाई विषयक शासन के आदेश संख्या-147/2017/2284 /22-2-2016-17(455)/2016 दिनांक 15 मार्च 2017 को सम्यक् विचारोपरान्त निरस्त किया जाता है।

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव

**संख्या- 40/2019/1919/22-2-2018 तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी।
3- पुलिस अधीक्षक, कौशाम्बी।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- मो0 इरशाद पुत्र श्री मो0 फारूक, निवासी-बरीपुर, थाना-कोखराज, जनपद- कौशाम्बी।
7- श्रीमती बेबी तवस्सुम पत्नी श्री अतीक अहमद, निवासी-ग्राम-हटवा, थाना- पुरामुफ्ती, जनपद-कौशाम्बी।
8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेन्द्र प्रताप पाण्डेय
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।